

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला - भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर थाना - प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
प्र. ई. रि. स. - 76/2022 दिनांक - 8/3/2022
2. (अ) अधिनियम - भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम-2018 धारा - 7, 7A
(ब) अधिनियम - धाराये -
(स) अधिनियम - धाराये -
(द) अन्य अधिनियम - धाराये - 120B IPC.....
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या - 164 समय - 5.15 PM
ब. अपराध के घटने का दिन - सोमवार, दिनांक - 30.01.2022 समय - करीब दोपहर पूर्व
स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक - 29.01.2022 समय - 03.15 पी.एम.
4. सूचना की किस्म - लिखित/मौखिक - लिखित।
5. घटना स्थल -
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी - बरूख पश्चिम 90 किलो मीटर लगभग
(ब) पता :- जीएसएस (बिजलीघर) सोमेसर, कार्यालय सहायक अभियन्ता, जो.वि.वि.नि.लि. शेरगढ
बीट संख्या जरायमदेही संख्या
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
पुलिस थाना जिला
6. परिवादी का नाम
1. (अ) नाम - हुकमाराम (ब) पिता/पति का नाम - श्री मंगलाराम जाट
(स) जन्म तिथि/वर्ष - 26 वर्ष (द) राष्ट्रीयता - भारतीय
(य) व्यवसाय - निजी वैल्डर (र) पता - किशोर नगर सोमेसर, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित-
1. श्री राजेश कुमार मीणा पुत्र श्री प्रसारीलाल मीणा निवासी फतेहपुर तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल कनिष्ठ अभियन्ता, सोलंकीयातल्ला अधिनस्थ सहायक अभियन्ता डिस्कॉम शेरगढ जिला जोधपुर।
2. श्री स्वरूपाराम पुत्र श्री भीखाराम जाति जाट निवासी पाबूरार सोमेसर हाल ठेकाकर्मी विद्युत विभाग सोमेसर डिस्कॉम शेरगढ जिला जोधपुर।
9. रिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :- कुछ नहीं
10. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां - शुन्य
11. चुराई हुई लिप्त सम्पत्तियां का कुल मुल्य :- आरोपी श्री स्वरूपाराम ने परिवादी से जे.ई.एन. श्री राजेश मीणा देने के लिये कुल 20000/-रूपये की मांग की जिसमें से 13500/-रूपये बिजली विभाग की राशि व 6500/-रूपये जे. ई.एन. श्री राजेश मीणा को रिश्वत राशि देने के लिये मांग की।
12. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)..... कोई नहीं.....
13. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट.....

सेवामें,


श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

जोधपुर।

विषय :- रिश्वत लेते हुए को रंगे हाथों पकड़वाने बाबत।

महोदयजी,



सादर निवेदन है कि मैं हुकमाराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति जाट निवासी किशोर नगर (सोमेसर) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर का निवासी हूँ। मेरे बड़े पिताजी श्री निम्बाराम पुत्र श्री नैनाराम जाट निवासी किशोर नगर (सोमेसर) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर ने सोमेसर गांव में अपने प्लॉट में दुकाने बना रखी है, जिसमें मैं पिछले चार-पांच वर्ष से वैल्विंग का काम करता हूँ, तथा मेरे बड़े पिता श्री निम्बाराम को प्रतिमाह 1500 रुपये किराया देता हूँ। इस दुकान में बिजली कनेक्शन श्री निम्बाराम के नाम है। मेरी किराये की दुकान का बिजली बिल प्रति माह मैं स्वयं जमा करवाता हूँ। दिनांक 27.01.2022 को मैं दुकान पर वैल्विंग कर रहा था उस समय दिन में करीब 3 बजे बिजली विभाग से जेईएन श्री राजेश मीणा एव सोमेसर बिजली घर में ठेके पर तैनात श्री स्वरूपाराम पुत्र श्री भीखाराम जाति जाट निवासी पाबूसर (सोमेसर) मेरी दुकान पर आये तथा जेईएन श्री राजेश मीणा ने कहा कि तुम कम लोड (केवी) में वैल्विंग का काम कर रहे हो, तुम्हारे यहां बड़ी मशीने पड़ी है। तो मैंने कहा मैं यहां कम लोड (केवी) की वैल्विंग मशीन से छोटा-मोटा काम करता हूँ। अधिक लोड (केवी) का वैल्विंग का काम सामने की दुसरी दुकान पर करता वंही पर लोहे का कच्चा सामान पड़ा है आप देखलो। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा और वंहा मेरी किराये की दुकान में रखी वैल्विंग मशीन के नम्बर लिख कर चले गये, मुझे और कुछ नहीं कहा और ना ही मेरी दुकान पर अन्य कोई लिखा-पढ़ी की एव ना ही मेरे साईन किसी कागज पर करवाये थे। बाद में मैं एव मेरा रिस्तेदार श्री हनुमानराम पुत्र श्री निम्बाराम जाट निवासी किशोर नगर (सोमेसर) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर दोनों सोमेसर बिजलीघर गये जहां ठेका कर्मी श्री स्वरूपाराम मिला और मेरे पुछने पर मुझे बताया कि आपकी दुकान पर 05 केवी के लोड के हिसाब से 90 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा, तो मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूँ मेरी मदद करो, जिस पर ठेका कर्मी श्री स्वरूपाराम ने कहा मैं जेईएन साहब से बात करके बताउंगा। दिनांक 28.01.2022 को मैंने मेरे मोबाईल नं० 93515-38525 से श्री ठेका कर्मी श्री स्वरूपाराम के मोबाईल नं० 63776-73883 पर बात की तो श्री स्वरूपाराम ने कहा कि जेईएन साहब ने 20 हजार रुपये का कहा है इसमें 13 हजार रुपये की रशिद देंगे उसने पैसे फोन-पे के द्वारा खाते में जमा करवाने का कहा। मैं बिजली विभाग के ठेका कर्मी श्री स्वरूपाराम के कहने पर जेईएन श्री राजेश मीणा को किसी भी माध्यम से रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ तथा इन दोनों को रिश्वत लेते या किसी के खाते में जमा करवाते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। श्री स्वरूपाराम मुझसे या मेरे रिस्तेदार श्री हनुमानाराम पिता श्री निम्बाराम से रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगा। इसलिए मैं स्वरूपाराम से रिश्वत राशि के बारे में बात करने के लिए श्री हनुमानाराम को सोमेसर गांव से साथ लेकर जाऊंगा।

इन दोनों से मेरी निजी कोई दुश्मनी नहीं है तथा न ही इनसे हमारा कोई पूर्व का लेन-देन बकाया है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें।

प्रार्थी

—सही—

हुकमाराम पुत्र श्री मंगलाराम जाट
निवासी किशोर नगर (सोमेसर) तहसील शेरगढ़
जिला जोधपुर मोबाईल नं० 93515-38525

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 29.01.2022 समय 03.15 पी.एम. पर श्री हुकमाराम पुत्र श्री मंगलाराम जाट, उम्र 26 वर्ष, पेशा वैल्विंग करना, निवासी किशोर नगर (सोमेसर) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर, मोबाईल नं० 93515-38525 ने कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त टाईप सुदा रिपोर्ट श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर को पेश की। मर्जिद दरियाफ्त पर श्री हुकमाराम ने बताया कि मेरे बड़े पिताजी श्री निम्बाराम पुत्र श्री नैनाराम जाट निवासी किशोर नगर (सोमेसर) तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर ने सोमेसर गांव में अपने प्लॉट में दुकाने बना रखी है, जिसमें मैं पिछले चार-पांच वर्ष से वैल्विंग का काम करता हूँ, तथा मेरे बड़े पिता श्री निम्बाराम को प्रतिमाह 1500 रुपये किराया देता हूँ। इस दुकान में बिजली कनेक्शन श्री निम्बाराम के नाम है। मेरी किराये की दुकान का बिजली बिल प्रति माह मैं स्वयं जमा करवाता हूँ। बिजली बिल मेरे द्वारा जमा कराने के कारण ही बिजली बिल में उपभोक्ता के मोबाईल नम्बर 9983290271 अंकित है। जो मेरे ही है। दिनांक 27.01.2022 को मैं दुकान पर वैल्विंग कर रहा था उस समय दिन में करीब 3 बजे बिजली विभाग से जेईएन श्री राजेश मीणा एव सोमेसर बिजली घर में ठेके पर तैनात श्री स्वरूपाराम पुत्र श्री भीखाराम जाति जाट निवासी पाबूसर (सोमेसर) मेरी दुकान पर आये तथा जेईएन श्री राजेश मीणा ने कहा कि तुम कम लोड (केवी) में वैल्विंग का काम कर रहे हो, तुम्हारे यहां बड़ी मशीने पड़ी है। तो मैंने कहा मैं यहां कम लोड (केवी) की वैल्विंग मशीन से छोटा-मोटा काम करता हूँ। अधिक लोड (केवी) का वैल्विंग का काम सामने की दुसरी दुकान पर करता हूँ। वंही पर लोहे का कच्चा सामान पड़ा है आप देखलो। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा और वंहा मेरी किराये की दुकान में रखी वैल्विंग मशीन के नम्बर लिख कर चले गये, मुझे और कुछ नहीं कहा और ना ही